

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(A++ नैक प्रत्यायित विश्वविद्यालय मानी गई संस्था)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय



Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

(A++ NAAC Accredited Deemed to be University)

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports



क्रमांक: E65IV/55(H)

दिनांक: 11/11/2019

सूचना

विषय- कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति हेतु पात्र संकाय सदस्यों/ पुस्तकालयाध्यक्ष से आवेदन आमंत्रित किये जाने बावत्।

यूजीसी नियमावली के अंतर्गत चुने हुये विकल्प के आधार पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में क्रमोन्नति / पदोन्नति हेतु वे संकाय सदस्य/ पुस्तकालयाध्यक्ष जो स्वयं को पात्र समझते हैं, दिनांक 11.11.2019 तक अपनी पात्रतानुसार प्रत्येक स्टेज के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र सम्पूर्ण संलग्नों के साथ इंडेक्स सहित स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जिन संकाय सदस्यों द्वारा पूर्व में जारी सूचना दिनांक 12.07.2019 के संदर्भ में अपने आवेदन प्रस्तुत किये हैं वे भी अपने आवेदन को अपडेट किये जाने हेतु दस्तावेज उक्त दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्राधिकार: कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांक 31.10.2019)

[कर्नल जनक सिंह शेखावत (से.नि.)]

कुलसचिव

31/10/19

प्रतिलिपि-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- समस्त संकाय सदस्यगण को सूचनार्थ
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी के समस्त संकाय सदस्यों को सूचनार्थ
- संबंधित पंजी
- सूचना पंजी